



2026:AHC-LKO:18612-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

विशेष अपील संख्या - 89 सन 2026

सत्य प्रकाश

..... अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव गृह विभाग सरकार
लखनऊ एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	अक्षत श्रीवास्तव
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1

**माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय
माननीय न्यायमूर्ति सैयद क्रमर हसन रिज़वी**

1. सुनवाई हुई।
2. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को और राज्य प्रतिवादियों के विद्वान राज्य अधिवक्ता को सुनने के बाद, यद्यपि हमें विद्वान एकल न्यायाधीश के उस निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है जिसमें उन्होंने दिनांक 26.12.2025 के स्थानांतरण आदेश के संबंध में रिट याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार किया है, जैसा कि उसमें दिए गए कारणों से हैं, हम पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश रिट याचिका में राहत संख्या 2 पर विचार करने में विफल रहे, जो प्रतिवादी को परमादेश रिट जारी करने की मांग थी ताकि अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता को चिकित्सा बोर्ड द्वारा सुझाए गए अनुसार हल्का डेस्क कार्य दिया जा सके। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने एक दस्तावेज़ पर भरोसा किया है, जो 29.07.2025 की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट है, जिसके अनुसार जनवरी 2026 में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में उनके गुर्दा प्रत्यारोपण के बाद, वे प्रतिरक्षादमनकारी दवा ले

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

रहे हैं, जिसका उनके शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वे संक्रमण के प्रति भी अतिसंवेदनशील हैं, इसलिए उन्हें प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने और डेस्क कार्य के साथ हल्का काम करने की सलाह दी गई है, जैसा कि पहले संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा सलाह दी गई थी।

3. उपरोक्त चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर, हमारी राय है कि यद्यपि अपीलकर्ता झांसी में कार्यभार ग्रहण कर सकता है, लेकिन उसे ऐसा कोई कार्य नहीं सौंपा जाना चाहिए जो 29.07.2025 की चिकित्सा बोर्ड की सिफारिशों के विपरीत हो और उसे केवल डेस्क कार्य के साथ हल्का कार्य सौंपा जाना चाहिए।

4. तदनुसार, दिनांक 09.01.2026 के आक्षेपित निर्णय में इस हद तक संशोधन किया जाता है। रिट याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है।

5. तदनुसार, अपील को भी अनुमति दी जाती है।

[न्यायमूर्ति सैयद क़मर हसन रिज़वी] [न्यायमूर्ति राजन रॉय]

मार्च 13, 2026

अर्णिमा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।